राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाडी, जयपुर–302001 दूरभाष नं. 0141–2373904 ईमेल–scr-rj@nic.in

क्रमांक / फा / संस्था / 1 / 1 / 2 / भूप्रआ / 2024 / 3371 / **दिनांकः–**

कार्यालय आदेश

श्री रविन्द्र कुमार यादव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर का राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 06.06.2024 को स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके आश्रित पुत्र श्री दिग्विजय यादव द्वारा विभाग में दिनांक 05.08.2024 को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर कनिष्ठ सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु आवेदन किया, श्री यादव की शैक्षणिक योग्यता केन्द्रीय माध्यमिक, शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिका पंजीयन संख्या 1143063 रोल नं. 17698696 वर्ष 2021 दिनांक 30.07.2021 के अनुसार सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण है। केन्द्रीय माध्यमिक, शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिका पंजीयन संख्या 1534299 रोल नं. 2200035 दिनांक 06.05.2019 के अनुसार इनकी जन्मतिथि 20.07.2004 (बीस जुलाई दो हजार चार) है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला खैरथल–तिजारा (राज.) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रंमाक Police/digital/police verification/4745786 दिनांक 25.06.2024 के अनुसार श्री यादव का चरित्र पूर्ववृत सत्यापित करते हुये अंकन किया है कि इनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण नहीं पाया गया। राजीव गांधी राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2024 द्वारा श्री यादव का स्वास्थ्य कनिष्ठ सहायक के पद के योग्य पाया गया। राजस्थान मृतक कर्मचारी आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 एवं राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1999 तथा वित्त (नियम डिवीजन) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) एफ.डी. / रूल्स / 2017 दिनांक 09.12.2017, व एफ.1 (2) एफ.डी. / रूल्स / 2006 दि0 13.03.06 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों / नियमों के अनुसरण में पुनरीक्षित नवीन वेतनमान 2017 पे मैट्रिक लेवल L-5 अनुसार परिवीक्षाकाल में निर्धारित पारश्रमिक रूपये 14600 / –रु प्रतिमाह संदत्त पर कार्य ग्रहण दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णत अस्थाई रूप से प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर कार्यालय भू–प्रबन्ध अधिकारी अलवर, मे पदस्थापित किया जाता है।

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन रहेगीः–

1. इन्हें परिवीक्षा अवधि के दौरान वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.06 एवं 09.12.2017 के अनुसार इन्हें नियमानुसार स्थिर पारिश्रमिक देय होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।

2. वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी / रूल्स / 2013 पार्ट दिनांक 28.06.2013 के अनुसरण में एफ.1(2)एफ.डी. / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि संतोषप्रद पाये जाने एवं परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात पुनरीक्षित नवीन वेतनमान 2017 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद की ग्रेड पे–2400 पे मैट्रिक लेवल L–5 अनुसार वेतन दिये जावेंगे। परिवीक्षाकाल अवधि में वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी। वित्त विभाग के आदेश कमांक प.2 (2) वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 2...2022 तथा राज्य

Signature Not Verified

Digitally signed by ARUN GARG
Designation : Settlement Commissioner
Date: 2025.01.17 11:46:51 IST
Reason: Approved

सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।

4. परिवीक्षाकाल अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने पर अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

5. इस आदेश प्राप्ति से 15 दिवस तक अपनी उपस्थिति रिपोर्ट कार्यालय भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर में प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

6. श्री यादव द्वारा स्व. श्री रविन्द्र कुमार यादव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आश्रितों का उचित तौर पर भरण–पोषण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

7. श्री यादव द्वारा नियमानुसार नियुक्ति की शर्त पूर्ण नहीं करने पर बिना पूर्व सूचना अथवा बिना नोटिस दिये किसी भी समय राजकीय सेवा से पृथक किया जा सकता है।

8. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

11. मृतक कर्मचारी की आश्रिता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार मृतक आश्रित के परिवार में से कोई भी व्यक्ति राज्य सेवा, केन्द्र सेवा या अन्य स्वायत्तशासी संस्था में नियुक्त नहीं है। आदेश जारी होने की तिथि या इससे पूर्व में नियुक्त होने की दशा में उक्त नियुक्ति आदेश नियमानुसार निरस्त किये जा सकेंगे।

12. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए–II/2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01. 2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा।

13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07 2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही देय होगी।

14. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.7 ([illegible])क/क–2/23 दिनांक 11–5–2023 के अनुसार राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने [illegible] का शपथ पत्र भी लिया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by ARUN GARG
Designation : Settlement Commissioner
Date: 2025.01.17 11:46:51 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाडी, जयपुर–302001 दूरभाष नं. 0141–2373904 ईमेल–scr-rj@nic.in

''शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा, तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालना करूगां। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)''

15 अभ्यार्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्न–

1 प्रार्थना पत्र एवं समस्त दस्तावेज।
2 Police verification प्रमाण पत्र।
3 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

(डॉ. अरूण गर्ग ,IAS)
भू–प्रबन्ध आयुक्त,राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. भू–प्रबन्ध अधिकारी अलवर, को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायक श्री दिग्विजय यादव द्वारा उपस्थिति के समय इनके द्वारा प्रस्तुत मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यक रूप से जॉच कर ले, यदि कोई त्रुटि पायी जावे तो मुख्यालय को अवगत करावें तथा समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति इनकी निजी पत्रावली में नत्थी किये जावें।
3. कोषाधिकारी, अलवर द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी अलवर।
5. श्री दिग्विजय यादव पुत्र स्व. श्री रविन्द्र कुमार यादव प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायक निवासी गादली की ढाणी पोस्ट– मानका, तहसील– मुण्डावर, जिला–खैरथल तिजारा पिन कोड– 301401 को भेजकर लेख है कि **शैक्षणिक दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रति एवं दो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र, उपस्थिति रिपोर्ट एवं** मूल दस्तावेज साथ ले कर भू–प्रबन्ध अधिकारी अलवर, कार्यालय मे प्रस्तुत करें।
6. निजी पंजिका श्री दिग्विजय यादव पुत्र स्व. श्री रविन्द्र कुमार यादव प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी अलवर।
7. वरिष्ठता शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा/सामान्य/संस्थापन तृतीय।
8. रक्षित पत्रावली।

भू–प्रबन्ध आयुक्त,राजस्थान,
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by ARUN GARG
Designation : Settlement Commissioner
Date: 2025.01.17 11:46:51 IST
Reason: Approved